Government of Himachal Pradesh
Department of Technical Education

NOTIFICATION

No. EDN (TE) A (3)-2/2004 Dated: - 11/9/2017

In supersession of this department earlier notification dated 23/4/2012, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify"Student Welfare Fund" Rules in respect of the **Government Industrial Training Institute (s)** in Himachal Pradesh is as under:-

1.	**Short title & commencement:**	(i) These rules may be called the **"Student Welfare Fund Rules, 2017"** of **Government Industrial Training Institute (s)** of Himachal Pradesh. (ii) They shall be deemed to have come into force from the date of this notification.
2.	**Constitution of Student Welfare Fund:**	The Student Welfare Fund shall be called as "Fund" herein after, and funds mentioned below shall be included. (i) Following fee and other Charges shall be realized from the students subject to any change/addition from time to time in the prospectus.

(a)	**Institution Charges :**	
		Rupees
	(i) Fee	
(1	Admission fee (one time payable at the time of admission)	200.00
(2)	Tuition Fee (Payable in the beginning of each semester)	1200.00
	(ii) Charges	
(1)	Certificate Charges (One Time)	100.00

	(iii) Funds	
(1)	Institutional Security (Refundable) (One Time)	1000.00
(2)	NCC Fund (for institutions where NCC wing is existing)	100.00
(3)	Training and Placement Fund (one time)	100.00
(4)	Identity card fund (One Time)	50.00
(5)	Student Welfare Fund (per semester)	350.00
(6)	Development Fund (Building Fund, Sports and culture activities fund) (per semester)	250.00
(7)	Water and Electricity Fund (Per Semester)	250.00
(8)	Medical Fund (Per Semester)	100.00
(9)	Internal Examination Fund (Per Semester)	100.00
10)	Library Fund (Per Semester)	100.00
(11)	Computer Education Fund (for first & Second Semester)	600.00 per semester
(12)	Corpus Fund for student welfare (Per Year) to be deposited in the Directorate through Institute)	20.00
	Total :-	**4520.00**

3.(A) Operation and Utilization of Fund: The fund will be operated and utilized for the following purposes by the Principal in consultation with the Students Welfare Association comprising 50:50 students and staff members of the Institution.

1) Sports, Cinema and entertainment related activities, purchase of sports goods/material & there maintenance, annual prize distribution function charges with different official activities and entertainment etc.

2) Expenditure on stationery and writing material for house tests, internal examination cyclostyled notes etc.

3) First-aid and reimbursement cost of medicines of minor ailment to the students on the recommendation of Medical Officer of the Civil Hospital/Institution on production of attested/verified vouchers and payment of ambulance charges, if any.

4) Expenditure for the publication of the institution magazine, news papers and other periodicals.

5) Maintenance and development of Play grounds.

6) N.C.C. activities.

7) Nominal expenditure on different committees, clubs, institutions and trusts etc. formed in the Institutions.

8) Expenditure on study tour to places and buildings of historical and academic interest and importance within Himachal, mountaineering and industrial visits within adjoining districts of the adjoining State.

9) Expenditure for participation in different debates, music and drama competitions etc. by the students.

10) Expenditure on rent and carriage of Loud-speakers and furniture, refreshment to the prize winner sportsmen and guests invitees to the function organized by the Institution.

11) Expenditure on special invitees for guest lecture and faculty engaged on lecture basis as per their curriculum needs, eminent personalities, poets, actors etc. & expenditure for stay in guest houses/hotel , vehicle and meal etc.

12) Expenditure of travelling allowance, to the Chief Guest invited for Annual Prize Distribution Function, momentous to the Chief Guest, Students and Staff Academic prizes, refreshment to all the present in the function but the expenditure for the purpose should be limited to Rs **300** per student on the roll of the Institute on the day of the function (Increase due to hike in price index and included expenditure on Public Addressing/ sound system shamiayana, decoration items and sitting arrangements in addition to the items already included).

13) Expenditure on remuneration to the various official/staff engaged for organizing sports meet, NCC and other activities related to the students' welfare.

14) Expenditure on staff and students to participate in sports meet and other competitions such as TA/DA, refreshment charges, officiating charges and on medicine etc.

15) Expenditure on refreshment to the sportsman and staff participating in the friendly matches organised by the Polytechnic with Rs **50**/- per head. (Increase in price index)

16) Photograph of the teams.

17) Rent of hired play grounds.

18) Colour to the outstanding sportsmen of the Institutions.

19) Purchase of stock registers and cash books/ledger, stationery etc. for maintaining record of the fund.

20) Expenditure on writing material and postal charges of student related activities.

21) Expenditure on steamer/boats rent etc. if any.

22) Expenditure on the purchase of drum, music instruments and furniture and other instrument/items required for social and cultural activities.

23) Rent of advertising in Public Places through, Radio and loudspeakers for student welfare.

24) Uniforms and other accessories for different sports teams

25) Expenditure on repair and maintenance of Computer and procurement of software prescribed in curriculum but item will not exceed more than Rs. **35,000/-** and the annual expenditure will not exceed Rs.**100,000/-** subject to availability of money in the computer fee head. (Due to increase in prices of consumable items/ spare parts and labour cost etc).

26) Expenditure on repair and maintenance, spare parts, POL of Institutional vehicle in the interest of student related activities but the expenditure will not exceed Rs.**25,000/-** subject to maximum of Rs.**50,000/-** per annum (Increase in fuel prices and spare parts and labour cost etc).

27) Minor repair and maintenance of hostel Building/Institute building/ residential buildings and repair of electrical Installation thereof, but expenditure will not exceed Rs.**50,000/-** at a time subject to maximum of Rs.**2,00,000/-** per annum subject to availability of money in the building head (Increase in price index of consumable items/ materials labour cost and due to less provision of state Govt. budget for minor civil work).

28) Travel allowances for the Officers/Officials deployed for educational tour local/outside within the state and outside the state with the prior permission of Director Technical Education.

29) Expenditure on the representative of industries for conducting Campus Interview on account of refreshment/meals/ hotel charges & TA on the rates as per approved by DC/ HP Tourism Department. (To attract more companies for campus recruitment)

30) The official who maintains the cash book and day to day transaction with complete maintenance of record of the student welfare fund shall be given remuneration of Rs.500/-. p.m. (Incentive for Maintenance of cashbook)

31) Expenditure on hiring vehicles, HRTC Bus/Pvt. Buses for conduct of study visits/Industrial visits and to participate in sports meets etc. in case where the institute does not have own buses/vehicles. (For fragment Industrial/field visit for student expenses to technical)

32) Expenditure on Installation/ Re-filling of fire extinguishers/ fire safety equipments in the Institution.(Mandatory requirement to prevent fire hazards if any)

33) Expenditure on major and minor repair of class room, laboratories, workshops, electrification, projector, overhead projector etc.(Up keeping of Class Rooms/ Labs/ workshops etc)

34) Expenditure on providing safe and clean drinking water to students, staff and visitors.(To ensure drinking water to all staff/student)

35) Expenditure for purchase of consumable items for maintaining cleanness/ beautification of the campus.(campus beautification)

36) Expenditure on procurement & installation of notice boards/ display boards pertaining to academics/Anti- ragging/ mandatory directions/ signs etc. (To comply Direction passed by the orders of Hon'ble courts/Higher offices).

37) Expenditure for conducting Alumni meet.(Institutional Development)

38) Expenditure on material provided to the students for Project work related community development upto Rs. 20,000/-(To faster Innovating / Project research work.)

39) Expenditure on First Aid Boxes in the institution.(Ensure safety of students.)

40) Expenditure on Solar Lighting, Solar geyser in hostels & campus (To encourage use of renewable energy.).

41) Expenditure on remuneration to the experts for delivering lectures. Minimum Rs. 1000/- and maximum Rs. 3000/- (To attract more new faculty from field / industries / higher institution)

42) Maintenance of road and paths etc of the campus upto Rs. 2,00,000/- per year (Institution Development).

43) The Director Technical Education is the competent authority to sanction any expenditure on any other item not included above and which is beneficial for the welfare of the student.

Note : Expenditure on all above items (1 to 43) shall be made only after the approval of student welfare association of the Institute.

3.(B) Operation and Maintenance of Corpus Fund:-

1. To incur expenditure for the purchase of books/ uniform/ payment of tuition fee etc. in respect of BPL/needy students. The individual cases from the field Institutions will be forwarded by the In charge of the Institution to the Directorate of Technical Education after scrutiny/verification along with due recommendation.

2. The Corpus Fund will not be amalgamated with the Student Welfare Fund which is already existing in the Technical Institutions. It will be maintained/operated at the level of Directorate of Technical Education and the funds collected under the Corpus Fund Shall be deposited in a separate Bank Account.

3. The needy students will also be allowed to purchase books pertaining to competitive examinations/ course curriculum and can also be paid the

travel expenses to and from the venue of the examination centre for appearing in such competitive examination.

4. A ceiling of Rs. 1000/- will be fixed for each type of expenditure and it will not be a recurring expenditure. The Technical Institutions will be permitted to submit & recommend a fixed number of cases taking into consideration the merit/justification of the cases & total intake of students.

5. In case the expenditure on any medical emergency is required, then the application must be supported with a valid medical certificate/documents.

6. Finishing school activities can also be covered, wherein some expenses are required to be incurred towards essential/desirable preparatory exercises facilitating the needy students to secure placement.

4. Operation and Maintenance of Fund (Other than Corpus Fund)

(a) The Principal or the officer/official appointed by the Principal has to maintain separate cash-book with complete record of day-to-day transaction. The money should be kept in separate chest.

(b) For each financial year, income and expenditure estimate shall be worked out. Money should be kept in saving account of the fund. The amount in the chest should be minimum. The excess amount of the fund shall be invested in the long terms deposits.

(c) The financial sanctions/approval for all the purposes mentioned under Rule-03 above shall be accorded by the Principal. The officer/Official appointed by the Principal, for the operation and maintenance of fund will draw the money from the fund according to the rules of the Government and will maintain the accounts according to the prescribed procedure followed in case of Government transactions.

5. **Audit of funds :**The Audit of Fund will be done by the Local Audit Department, Himachal Pradesh.

6. Disposal of Unserviceable goods:- Principal may dispose off unserviceable and surplus goods as per finance department Notification

no. Fin(C)A(3)-4/99, dated 20th September 2014 upto the book value of Rs.50,000/- after constituting committee for the purpose. The case exceeding this limit shall be forwarded to the Director, Technical Education for approval.

By Order

Principal Secretary (Tech. Edu.)
to the Govt. of Himachal Pradesh.

No. As above, Dated, 11/9/2017

Copy forwarded for necessary action to:-

1. The Director, Technical Education, Sundernagar, District Mandi w.r.t. letter No. STV(TE)HF(4)/8-SWF Rules-27040 dated 18/4/2017.
2. The Examiner Local Audit Department, Shimla-9.
3. All Government ITIs in Himachal Pradesh.
4. Guard file.

(Ved Parkash)
Deputy Secretary (Tech. Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

No. EDN(TE)A(3)2/2004 दिनांक 11/9/2017

इस विभाग द्वारा जारी संमसंख्यसक अधिसूचना दिनांक 23/4/2012 का अधिक्रमण करते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि के लिये निम्नलिखित नये नियम वनाने की सहर्ष घोषणा करते हैं:–

1.	संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भः–	i) यह नियम राजकीय **राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,** हिमाचल प्रदेश के **छात्र कल्याण निधि नियम, 2017** कहलायेंगे । ii) यह नियम अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे ।
2.	छात्र निधि का गठनः–	छात्र कल्याण निधि जो कि इसके पश्चात "निधि" कहलायेगी, में निम्नलिखित निधियों का समाविष्ट होगा ।

क) निम्नलिखित शुल्क जो कि छात्रों से लिए जाएगें, जिनकी बढ़ौतरी व परिवर्तन समय समय पर विवरण पुस्तिका/प्रौस्पैक्टस अनुसार किया जा सकता है ।

(क) संस्थान वसूली :		
(i)	**शुल्क**	रूप्ये
(1)	प्रवेश शुल्क, (केवल एक वार प्रवेश के समय)	200.00
(2)	टयूशन शुल्क (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	1200.00
(ii)	**शुल्क**	
(1)	प्रमाणपत्र शुल्क, (केवल एक वार)	100.00
(iii)	निधि	

(1)	छात्रावास जमानत (वापसी योग्य एक वार)	1000.00
(2)	एन0सी0सी0 शुल्क(जहां एन0 सी0 सी0 विंग चल रहा है)	100.00
(3)	प्रशिक्षण एंव बर्गीकरण शुल्क, (केवल एक वार)	100.00
(4)	पहचान पंत्र शुल्क, (केवल एक वार)	50.00
(5)	छात्र कल्याण निधि (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	350.00
(6)	विकास शुल्क (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	250.00
(7)	विद्युत तथा जल प्रभार शुल्क (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	250.00
(8)	चिकित्सा शुल्क (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	100.00
(9)	अन्तरिम परीक्षा शुल्क (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	100.00
(10)	चिकित्सा शुल्क (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)	100.00
(11)	कम्पयूटर शिक्षा शुल्क (प्रथम एंव द्वितीय स्मैसटर के लिये)	600.00 (प्रत्येक स्मैसटर के लिये)
(12)	संग्रह निधि छात्र कल्याण (प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा निदेशालय में जमा करवाया जाएगा)	20.00
	कुल	4520.00

3.(क) <u>निधि का परिचालन तथा उपयोग:</u> निधि का परिचालन तथा उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये प्रधानाचार्य द्वारा छात्र कल्याण समिति जिसमें संस्थान के छात्र एवं स्टाफ के सदस्य 50:50 के अनुपात में होंगें, के परामर्श से किया जायेगा :–

उद्वेश्य : –

1- खेलकूद, चलचित्र, मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियां, खेल कूद के सामान/वस्तुएं क्रय करना तथा इनका रख–रखाव, वार्षिक पारितोषिक समारोह तथा विभिन्न कार्यालय सम्बन्धी गतिविधियॉ इत्यादि।

2- गृह परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा से सम्बन्धित लेखन सामाग्री तथा फोटोस्टेट नोट्स, प्रश्न पत्र इत्यादि के व्यय हेतु।

3- कार्यशाला/प्रयोगशाला/क्रीड़ा स्थल में कार्य करते एवं खेलते समय घायल हुये छात्रों तथा छोटी–मोटी बीमारियों के उपचार के लिए संस्थान के चिकित्सक या स्थानीय सिविल या प्राधिकृत अस्पताल के चिकित्सक द्वारा सत्यापित बाउचरों के आधार पर प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान तथा एम्बूलैंस का किराया, यदि हो तो ।

4- संस्थान से सम्बन्धित मैगजीन, समाचार पत्र तथा दूसरी पत्र– पत्रिकाओं पर होने वाला व्यय एवं कितावों की वांईडिग लाइब्रेरी कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि।

5- खेल के मैदानों का विकासीकरण एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय।

6- एन0सी0सी0/एन0 एस0 एस0 की गतिविधियों के दौरान चायपान/खानपान के दौरान होने वाले खर्च।

7- संस्थान द्वारा गठित समितियों, क्लबों, सस्थाओं एवं ट्रस्ट इत्यादि पर होने वाला सामान्य व्यय ।

8- ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का शैक्षणिक भ्रमण, कारखानों एवं एन0आई0टी0/आई0आई0टी0 के परिदर्शन से सम्बन्धित व्यय, जो कि हिमाचल प्रदेश एवं हिमाचल के वाहर स्थित हैं।

9- छात्रों द्वारा वाद–विवाद, संगीत तथा ड्रामा प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर आने वाला व्यय ।

10- फर्नीचर तथा लाउडस्पीकर का किराया व ढुलाई एवं जीतने वाले खिलाड़ियों को पारितोषिक/अल्पाहार तथा संस्थान द्वारा आयोजित उत्सव पर आमन्त्रित अतिथियों पर होने वाला व्यय ।

11- विशेष रूप से आमन्त्रित व्याख्याताओं जो पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक हो, विशिष्ट नागरिकों, कवियों, कलाकारों तथा उनका अतिथि गृह/होटल में ठहराव, भोजन एवं वाहन से सम्बधित व्यय ।

12- संस्थान में दीक्षान्त व पारितोषिक समारोह की अध्यक्षता के लिये आमन्त्रित मुख्य अतिथि के यात्रा भत्तों, स्मृति चिन्ह तथा छात्र एवं कर्मचारी वर्ग के लिए पारितोषिक/स्मृति चिन्ह तथा समारोह में उपस्थित व्यक्तियों के अल्पाहार पर होने वाला व्यय जो कि संस्थान में समारोह के दिन उपस्थित कुल छात्रों के अनुरूप प्रतिछात्र रूपये 300/- से अधिक न हो ।

13- छात्र कल्याण से सम्बन्धित खेलों एवं एन0सी0सी0 सम्बन्धित गतिविधियों के लिए नियुक्त कर्मचारी वर्ग एवं छात्रों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक पर व्यय।

14- संस्थान के कर्मचारियों तथा छात्रों को खेलों अथवा अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर यात्रा भत्ता, अल्पाहार एवं दवाओं पर होने वाला व्यय ।

15- संस्थान के खिलाडियों तथा कर्मचारियों द्वारा मैत्रीपूर्ण आन्तरिक मैचों में भाग लिए जाने पर अल्पाहार पर व्यय जो 50/- रू0 प्रति व्यक्ति से अधिक न हो ।

16- टीम के फोटो इत्यादि पर व्यय।

17- खेल के मैदान का किराया ।

18- संस्थान के विशिष्ट खिलाड़ियों को कलर प्रदान करने पर व्यय ।

19- निधि से सम्बन्धित लेखा–जोखा के रख–रखाव हेतु खरीदे जाने वाले स्टाक रजिस्टर, कैश बुक एवं लेखन सामाग्री इत्यादि पर व्यय।

20- छात्र गतिविधियों से सम्बन्धित लेखन सामग्री की खरीद तथा डाक व्यय ।

21- जलपोत सम्बन्धी व्यय ।

22- सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ड्रम, संगीत तथा फर्नीचर एवं दूसरे उपकरणों इत्यादि की खरीद पर व्यय।

23- छात्र कल्याण के लिए रेडियो एवं लाउडस्पीकरों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में विज्ञापन हेतु किराए पर होने वाला व्यय।

24- विभिन्न टीमों के सदस्यों के लिये वर्दी तथा अन्य उपस्कर पर होने वाला व्यय।

25- कम्पयूटरों के रखरखाव तथा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित साफटवेयर पर होने वाला व्यय जिसका मूल्य 35000/– रूपये प्रति मद से अधिक न हो तथा वर्ष में 1,00,000/–रूपये से अधिक न हो बेशर्ते कि कम्यूटर मद में धन उपलब्ध हो ।

26- संस्थान के वाहनों जो कि पूर्णतयः छात्रों के हित में हो की मुरम्मत/स्पेयर पार्टस/ ईंधन पर होने वाला व्यय जिसका मूल्य 26,000/– रूपये से अधिक न हो तथा वर्ष में 50000/– रूपये से अधिक न हो ।

27- छात्रावास/संस्थान/आवासीय भवनों पर आवश्यक लघु मुरम्मत, रंग–रोगन तथा विद्युत रिवाईरिंग पर होने वाला व्यय जो एक समय पर मु0 50000/– रूपये से अधिक न हो तथा वर्ष में 200000/– रूपये से अधिक न हो बेशर्ते की भवन निधि में धन उपलब्ध हो।

28- प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर शैक्षणिक भ्रमण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों का भुगतान निदेशक तकनीकी शिक्षा की अनुमति लेने के उपरान्त ही किया जाएगा।

29- संस्थान में कैम्पस साक्षात्कार के लिये बाहर से आने वाले उद्योगों के प्रतिनिधियों के लिये जलपान एवं भोजन आदि पर व्यय ।

30- संस्थान में छात्र कल्याण निधि के लेखों एवं रोकड़ बही इत्यादि के रख–रखाव के लिए नियुक्त सम्बन्धित कर्मचारी को 200/– रूपए प्रति माह की दर से पारिश्रमिक पर दिया जाने वाला व्यय।

31- संस्थान जिनके अपनी बसें या वाहन नहीं है वहां के छात्रों के शैक्षणिक यात्राओं, औद्योगिक यात्राओं एवं खेल कूद सम्बन्धित यात्राओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों एवं निजि बसों के ऊपर किया जाने वाला व्यय।

32- अग्नि शमन यन्त्र एवं अग्नि सुरक्षा यन्त्र एवं उनके भराई एवं रख रखाव हेतू किया जाने वाला खर्चा।

33- कक्षाओं की छोटी–बडी मुरम्मतें, विद्युतीकरण, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, प्रक्षेपक यन्त्र (प्रोजेक्टर) इत्यादि पर किया जाने वाला खर्च।

34- छात्रों, स्टॉफ व अन्य लोगों के लिए सुरक्षित एवं साफ पानी उपलब्ध करवाने बारे किए गए व्यय ।

35- संस्थान की साफ सफाई एवं सौन्दर्यकरण वाले सामान इत्यादि पर होने वाला खर्चा।

36- संस्थान के नोटिस बोर्ड, प्रर्दशनी बोर्ड, ऐंटी रैंगिग एवं अन्य महत्वपूर्ण बोर्डों या साइन बोर्डों पर किए जाने वाला खर्चा ।

37- पूर्व छात्रों के वार्षिक एवं अन्य समारोह पर किया जाने वाला खर्चा।

38- सामुदायिक विकास वाले परियोजनाओं के लिए छात्रो को दी जाने वाली सामग्री पर किए जाने वाला खर्च जोकि 20,000/– तक हो।

39- संस्थान के प्रथम चिकित्सा सहायता डिब्बों पर किए जाने वाला खर्चा।

40- संस्थान के छात्रावास के सोलर लाईट व सोलर गिजर पर होने वाला खर्चा।

41- विशेषज्ञों द्वारा संस्थान में दिए जाने वाले व्याख्यान एवं प्रशिक्षण इत्यादि पर किए जाने वाला खर्चा।

42- संस्थान के सडक एवं रास्तों के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्चा।

43- अन्य कोई भी मद जो कि छात्र कल्याण के लिये विशेष महत्व रखती हो तथा जो उपर शामिल नहीं हुई हो पर होने वाला व्यय निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष के अनुमोदन पर किया जाएगा ।

नोटः– उपरोक्त मदों (1–43) पर किसी भी प्रकार का व्यय करने से पूर्व संस्थान में गठित छात्र कल्याण समिति का प्रस्ताव पारित करवाना अनिवार्य होगा ।

3. (ख) संग्रह निधि का संचालन एवं रख–रखावः–

1. गरीबी रेखा से नीचे / जरुरतमंद छात्रों को टयूशन फीस के भुगतान , पुस्तकों तथा वर्दी की खरीद पर व्यय करने हेतू संस्थानों के प्रमुखों द्वारा प्रत्येक मामले की छानबीन एवं सत्यापन के उपरान्त अपनी सिफारिषों सहित तकनीकी शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा।

2. संग्रह कोष को छात्र कल्याण कोष जो पहले से ही तकनीकी संस्थानों में विद्यमान है के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। संग्रह निधि की देख रेख तथा संचालन तकनीकी शिक्षा निदेशालय स्तर पर होगा और संग्रह निधि के अंर्तगत जो फण्ड इकट्टा किया जाएगा उसको अलग बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

3. जरुरतमंद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतू किताबें खरीदनें, अध्ययन/पाठ्यक्रम तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने स्थान से परीक्षाकेन्द्र तथा वापिसी तक यात्रा व्यय इससे वहन किया जा सकता है।

4. प्रत्येक व्यय पर खर्च करने की अधिकतम सीमा मु0 1000/–रु0 निश्चित की गई है और यह एक आवर्ती व्यय नहीं होगा। तकनीकी शिक्षण संस्थानों को यह अनुमति होगी कि वह निर्धारित मामले योग्यता एवं प्रमाणिकता आधार पर विचार करके एक निश्चित संख्या सहित मामले प्रशिक्षुओं की कुल अर्न्तग्रहण क्षमता के अनुसार अनुषंशा सहित प्रस्तुत करें।

5. यदि खर्चा किसी आपातकालीन चिकित्सा हेतू किया जाना है तो आवेदन के साथ वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र/ दस्तावेज लगाने होंगे।

6. संस्थान की गतिविधियों को पूर्ण करने के उपरान्त यदि जरुरतमंद प्रशिक्षुओं को पलेसमैंट दिलवाने के लिए यदि कुछ जरुरी / वांछनीय तैयारी हेतू मदद की आवश्यकता हो तो उस सम्बन्ध में भी खर्च किया जा सकता है।

4. निधि का संचालन एवं रख–रखावः–

(क) प्रधानाचार्य या ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें प्रधानाचार्य द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किया हो, छात्र कल्याण निधि के लेखों एवं रोकड़ वही इत्यादि के रख–रखाव का कार्य पूर्ण रूप से करेगें। दिन–प्रतिदिन के उपयोग के लिये निधि से सम्बन्धित राशि पृथक तिजोरी में रखी जाए।

(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय का अनुमान तैयार करना होगा तथा केवल उतना ही धन डाकखाने/बैंक के बचत बैंक खाते में रखा जाए, जितना कि चालू खर्च के लिये आपेक्षित है। छात्र निधि के बचे हुये धन को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाये। प्रतिदिन के खर्च के लिये तिजोरी में कम से कम धन रखा जायेगा ।

(ग) नियम तीन में दिये गये विभिन्न प्रयोजनों के लिये छात्र निधि में से सभी व्ययों की स्वीकृतियां प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की जायेगी । निधि के लेखों के संचालन तथा रख–रखाव हेतु प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी नियमानुसार निधि से धन निकालेगा तथा लेन–देन का हिसाब–किताब सरकारी लेखों के अनुदेशों के अनुरूप रखा जाये।

(घ) निधि का वार्षिक लेखा–जोखा निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा ।

5. निधि की लेखा परीक्षाः– निधि की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा समय समय पर की जायेगी ।

6. अपयोज्य/अनुपयोगी वस्तुओं को बटे खातें में डालनाः–प्रधानाचार्य अपयोज्य/अनुपयोगी वस्तुओं को संस्थान द्वारा गठित समिति के अनुमोदन पर वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या **Fin(C)A(3)-4/99**, दिनाकं 20, सितम्बर 2014 के द्वारा रूपये **50000/-** तक की वस्तुओं को निलामी द्वारा वट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम होंगे। इससे अधिक राशि के मामलों के लिए निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सक्षम होंगे।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

पृ0 संख्या END(TE)A(3)2/2004

दिनांकः 11/9/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सुन्दरनगर, जिला मण्डी ।
2. स्थानीय लेखा परीक्षक विभाग, हि0 प्रदेश शिमला ।
3. प्रधानाचार्य, समस्त **राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**, हिमाचल प्रदेश ।
4. गार्ड नस्ति ।

(वेद प्रकाश)
उप सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार